तारीख हुक्म	फर्द अहकाम (नियम 15) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज अज अदालत :- जिला कलक्टर, धौलपुर (राज0) राजीव गुप्ता बनाम लोक सूचना अधि0 (अति0जिला कलक्टर धौलपुर) प्रथम अपील, (मु0संख्या 31 / 2023) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीसीएमएस न0 2023 / 88)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
7-11-23	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रस्तुत की है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र क्रमांकः प्रथम अपील / आरटीआई / 2022 / 384 दिनांक 17.10.2023 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी / रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना हेतु अपीलार्थी का आवेदन कार्यालय के पत्र क्रमांक / संपर्क / सू.अ. / 2023 / 296 दिनांक 31.07.2023 से लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका राजाखेडा को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत आवेदन स्थानान्तरित कर भिजवाया जा चुका है तथा अपीलार्थी को सूचित भी किया जा चुका है जिसकी पत्र की प्रति प्रस्तुत की है। अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका राजाखेडा द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। हमने लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी / रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका राजाखेडा से संबधित होने के कारण अपीलार्थी का आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत आवेदन स्थानान्तरित कर अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका राजाखेडा को भिजवाया गया है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका राजाखेडा से सबंधित होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी अध्यक्ष नगर पालिका राजाखेडा है। अपीलार्थी अध्यक्ष नगर पालिका राजाखेडा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील पोषणीय नहीं होने	

के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर